राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के हाल के सम्मेलन तथा मेरी विदेश यात्रा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न आपके पास भेजे गये हैं और आपने यह सुझाव रखा है कि मैं इन विषयों पर सभा के समक्ष एक संक्षिप्त वक्तव्य दूं।

जिन सम्मेलनों तथा वार्ताओं में मैं व्यस्त रहा, उनमें समान हित के अनेक विषयों तथा दुनिया के मामलों के सम्बन्ध में बहुत सा विचार विमर्श हुआ तथा स्थितियों का स्पष्टीकरण किया गया। जहां संभव था, हमने भी यह जानने का प्रयत्न किया कि इन समस्याओं के प्रति अन्य किन देशों के विचार और रुख हमसे मिलते हैं। सामान्य रूप से, इस तरह के विचार-विनिमय ऐसी निश्चित समस्याओं के सम्बन्ध में नहीं होते जो इन सम्मेलनों या वार्ताओं में भाग लेने वालों के बीच विद्यमान हों।

राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों या अन्य मंत्रियों के सम्मेलन राष्ट्रमंडलीय देशों की सलाह से समय समय पर निश्चित समय और स्थान पर होते हैं।

हाल में लन्दन में प्रधान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें प्रधान मंत्रियों ने आपसी हित के मामलों पर और विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की गतिविधि पर विचार-विमर्श किया। राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन की समाप्ति पर जो विज्ञप्ति जारी की गयी थी, वह अखबारों में छपी है और वह सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३**]

इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "प्रधान मंत्री जिस समान-निष्कर्ष पर पहुचे हैं वह ऐसी मूल्यवान पृष्ठभूमि सिद्ध होगी जो हर सरकार को अपनी राष्ट्रीय नीतियां बनाने और उन पर चलने में सहायता देगी"।

इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वार्ताओं का रूप तथा उनका सामान्य उद्देश्य क्या था। ये सम्मेलन विचार-विनिमय करने तथा एक दूसरे को समझने के अवसर प्रदान करते हैं, चाहे उनमें मतैक्य हो या मतांतर। इनसे भाग लेने वालों का अनुभव बढ़ता है और उन्हे विचार-साम्य तथा विभिन्न मतों का पता चलता है, लेकिन वे राष्ट्रीय निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं डालत। राष्ट्रीय निर्णय करने के मामले में हर देश, उसकी सरकार तथा संसद् स्वतन्त्र है।

मैं सभा का ध्यान कुछ समान विचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विज्ञप्ति में प्रकट किये गये विचारों में से कुछ ये हैं : शांति को प्रोत्साहन देने वाली नीति का निर्माण, एक व्यापक निश्शस्त्रीकरण समझौते की खोज का महत्व, अपने देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को उत्तरोत्तर सुधारने के प्रयत्न का दृढ़ निश्चय, समान विरासत के रूप में संसदीय सरकार को मान्यता देना, जनता की स्वतन्त्रता तथा स्वायत्त सरकार सम्बन्धी आकांक्षाओं का सम्मान, तथा अपने-अपने देश के आर्थिक विकास के साथ साथ अन्य देशों के विकास में सहयोग प्रदान करना।

व्यक्तिगत सम्पर्क तथा विचार-विनिमय के द्वारा हम रूस में हुए परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं को उचित तथा वास्तविक रूप में समझ सकें। इन परिवर्तनों को 'महत्वपूर्ण' समझा गया और उनका स्वागत किया गया। यह स्वीकार किया गया कि रूस तथा अन्य बड़ी शक्तियों के सम्बन्धों में सुधार होने से युद्ध की आशंका दूर होती और शांति को बढ़ावा मिलता। आज की दुनिया में एशिया के महत्व को तथा मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व की स्थिति को भी सब लोगों ने समझा। शांति को स्थायी बनाने तथा युद्ध के खतरे को दूर करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

फारमोसा क्षेत्र की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये। हिंद-चीन में शांति बनाये रखने के लिये कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा किये गये कार्यों की चर्चा जिस पैरा में की गयी है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

लंका की गणराज्य बनने तथा राष्ट्रमंडल में बने रहने की इच्छा को स्वीकार किया गया जिसका हम इस देश में हार्दिक स्वागत करते हैं।

दो या अधिक राष्ट्रमंडलीय देशों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर इन सम्मेलनों में विचार करने की न कोई प्रथा है और न वह सहायक ही सिद्ध होगा। राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का उद्देश्य ऐसी समस्यायें सुलझाने के लिये कोई निर्णय देना नहीं होता, न उसमें संकल्पों या मतों द्वारा ऐसी समस्याएं सुलझायी जाती हैं। फिर भी, इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिये एक ही राजधानी में एकत्रित होने के कारण प्रधान मंत्रियों को, अगर वे चाहें तो आपस में बातचीत करने के अवसर मिल जाते हैं। ऐसी वार्ताएं, चाहे वे कुछ ऐसे देशों के बीच हों जिनकी समान समस्याएं हैं, जैसे प्रतिरक्षा व्यवस्था, सम्मेलन की कार्यवाही का भाग नहीं होतीं।

यह सम्मेलन उपयोगी रहा है। दुनिया की समस्याओं के सम्बन्ध में दृष्टिकोण वास्तविक तथा रचनात्मक रहा। मेरा विश्वास है कि विज्ञप्ति में दिये गये समान विचार न केवल सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विचारों और रुख को प्रभावित करेंगे बल्कि उनका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा। मैं यह भी कहूंगा कि यद्यपि इन राष्ट्रीयमंडलीय सम्मेलनों में भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोण और पृष्ठभूमि वाले देश भाग लेते हैं, फिर भी वे सहनशीलता का परिचय देते हैं और समान निष्कर्षों पर पहुचते हैं। दुनिया के लिये जो सैद्धान्तिक, जातिगत तथा अन्य मामलों में अलग-अलग दृष्टिकोणों तथा असहिष्णुता से ग्रस्त हैं, यह बात बहुत अच्छी है। इस सम्मेलन की अगली बैठक की तारीख और जगह के बारे में विचार नहीं किया गया।

जर्मन गणतन्त्र संघ की यात्रा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। युद्ध में बहुत बुरी तरह हारने और उसकी विनाश लीला को सहने तथा उससे पूर्व नाजियों द्वारा बहुत बुरी तरह से दबाये जाने के बावजूद भी यह देश या इसका एक भाग फिर से सजीव हो गया है। वास्तव में यह बड़ी प्रशंसनीय बात है कि पश्चिम जर्मनी आज एक अत्यन्त सफल औद्योगिक देश है। उसने युद्ध में तहस-नहस हुए स्थानों को फिरसे काफी हद तक बना लिया है। उनकी मेहनत करने की सामर्थ्य तथा आविष्कारक बुद्धि बहुत प्रभावशाली है।

जर्मनी की एकता की समस्या ज्यों की त्यों है। यह पश्चिम और पूर्व जर्मनी की मुख्य और उचित शिकायत है। चांसलर अडानावर से अपनी बातचीत में, मैंने शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जर्मन जनता की एकता की इच्छा के प्रति सद्भाव और सहानुभूति व्यक्त की। तनाव कम होने से इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी और इससे यूरोप और संसार की स्थिति में भी सुधार होगा।

जर्मन संघीय गणराज्य ने अपना अटल विश्वास प्रकट किया कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्वल है। साथ ही उसने शिल्पिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत से सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। मैंने इसका स्वागत किया। वहां की राज्य संघ सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से भारत में किसी स्थान पर एक औद्योगिक संस्था स्थापित करने और बहुत से भारतीय छात्रों को पश्चिम जर्मनी में शिल्पिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया। मैंने इन प्रस्तावों को साभार स्वीकार कर लिया।

मेरी यात्रा की समाप्ति पर चांसलर ने और मैंने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस विज्ञप्ति में फिर से दोहराया गया है कि दोनों देश लोकतंत्र और व्यक्ति स्वातंत्र्य में विश्वास रखते ह और एक दूसरे के साथ तथा अन्य देशों के साथ मैत्री और शांतिपूर्ण सहयोग का रवैया रखना चाहिये तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का दृष्टिकोण होना चाहिये। शांति बनाये रखने और उसे प्रबल बनाने के मूल उद्देश्य पर भी जोर दिया गया। संयुक्त विज्ञप्ति के दो दिन बाद चांसलर ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने कहा "हम पूरे जोर से हर प्रकार के युद्ध का विरोध करते हैं और इस विषय में भारत के प्रधान मंत्री के उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जिसे उन्होंने पांच मूल राजनीतिक सिद्धान्तों में समाविष्ट किया है"।

पेरिस में कुछ थोड़े समय में ही मुझे फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और परराष्ट्र मंत्री आदि नेताओं से मिलने का मौका मिला। हमने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली किन्तु मैं सभा को बता सकता हूं कि हमारी बातचीत से दोनों देशों के सम्बन्धों को बढ़ाने में तथा एक दूसरे की समस्याओं और दृष्टिकोण को समझने में और सहायता मिलेगी।"

युगोस्लाविया में ब्रियोनी में मुझे मार्शल टीटो और राष्ट्रपति नासिर से बातचीत करने का मौका मिला। राष्ट्रपति नासिर सरकारी तौर पर यूगोस्लाविया के दौरे पर आये थे और मार्शल टीटो के साथ उनके सहवास के अंतिम दिनों में मैं भी वहां पहुंच गया।

हम तीनों की बातचीत आपसी हितों और दुनिया के मामलों के बारे में हुई। हम तीनों ने अपनी अपनी सरकारों के प्रमुख की हैसियत से एक विज्ञप्ति जारी की जो सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५**] शांतिपूर्ण और सक्रिय सहअस्तित्व के लिये लोगों की बढ़ती हुई इच्छा, डर के कारण संसार के अलग अलग गुटों में बन जाने, क्रमिक निश्शस्त्रीकरण की आवश्यकता और अणु बमों के विस्फोट तुरंत बंद करने के बारे में हमने अपनी समान राय जाहिर की। हमने यह विश्वास प्रकट किया कि सुदूर पूर्व की समस्याओं को हल करने के लिये चीन जनगणराज्य का सहयोग नितांत आवश्यक है तथा हमने अल्जीरिया की समस्या का न्याय संगत एवं शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ने और वहां खून खराबी बंद करने का भी समर्थन किया।

सभा को मालूम होगा कि इस विज्ञप्ति में बांडुंग सम्मेलन के दस सिद्धान्तों को ही दोहराया गया है।

स्वदेश लौटते हुए मैं काहिरा, और लेबनान की राजधानी बरुत भी ठहरा। मैं पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में गया था। मुझे सीरिया और लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करने का मौका मिला। पश्चिमी एशिया के इन देशों से, जिन्होंने हमारी तरह हाल में ही स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता प्राप्त की है, हमारी बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं।

काहिरा में राष्ट्रपति नासिर और उनके मंत्रियों से कई विषयों पर और विशेष कर बगदाद संधि जैसी मध्य पूर्व की घटनाओं और एशियाई समस्याओं पर बातचीत करने का और अवसर मिला। इस बातचीत में स्वेज नहर या आंग्ल मिस्री सम्बन्धों का कोई जिक्र नहीं आया। स्वेज नहर के सम्बन्ध में मिस्र सरकार के हाल के निर्णय की खबर मुझे दिल्ली लौटने पर समाचार पत्रों से ही मिली।

आयरलैण्ड का मेरा अल्प प्रवास बड़ा सुखद रहा। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये हमारे और इस देश के संघर्ष में बहुत कुछ साम्य है।

मैं पूरे एक महीने भारत से बाहर रहा किन्तु स्वागत-समारोह, यात्रा, वार्ताओं और सम्मेलनों की भरमार के बावजूद भारत की याद और भारत के प्रति तथा भारत के निर्माण के लिये अपनी कोशिशों और सफलताओं के प्रति एक सहज गर्व का भाव बराबर मेरे मन में बना रहा।

केवल सरकारों की ओर से और सरकारी समारोहों में ही नहीं बल्कि हर जगह की जनता की ओर से भी मेरा, मेरी पुत्री और मेरे साथियों का मैत्री और उत्साह से स्वागत किया गया, जो बराबर इस बात की याद दिलाता है कि हमारे सामने कितने बड़े काम हैं और आजादी के बाद इस थोड़े से समय में संसार के लोगों ने हमारे देश से क्या क्या आशाएं बांध ली हैं। लोगों का उत्साह, मित्रता और सद्भावना की उनकी कामना, शांति और सहयोग की समस्या के बारे में हमारे प्रयत्नों के लिये उनका समर्थन और उदीयमान एशिया के लिय बढ़ती हुई मान्यता इन सब बातों से बड़ी खुशी होती है। मुझे इस बात से यह अनुभव होने लगा है कि दुनिया के फासले कितने संकुचित हो गये हैं और दुनिया के राष्ट्रों और लोगों को एक दूसरे के और भी निकट आ जाना चाहिये।

कालचक्र ने विभिन्न महाद्वीपों की दूरी समाप्त कर दी है, फिर भी लड़ाई-झगड़े और संघर्ष ने आज भी उन्हें अलग अलग किये हैं। विनाशकारी शस्त्रास्त्रों और प्रलयकारी अणु विस्फोटों के इस युग में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ही निकट भविष्य में बचाव का एकमात्र मार्ग है। इस यात्रा में सरकारों और अन्य लोगों से जो मेरी बातचीत हुई उससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं और आज हमें उसी की नितांत आवश्यकता है। इस के लिये राष्ट्रों में सहनशीलता और सद्भाव होना जरुरी है। हम अपने आचरण से और शांति तथा सहयोग के लिये अनवरत प्रयत्न करके ही अपना कर्तव्य सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें मिस्र और स्वेज नहर के मामलों में बहुत दिलचस्पी है और राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में मध्यपूर्व के स्थायीत्व और दूसरे राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ है, क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि इंगलैण्ड और फ्रांस द्वारा मिस्र की संपत्ति हड़प किये जाने के संघर्ष के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते और कोई वादविवाद नहीं होता। यदि अब भी ऐसे कोई प्रश्न हों, जिन पर सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हों, तो वे मुझे सूचना दे सकते हैं और प्रश्नों के रूप में, अन्य विषयों पर भी यथासमय विचार किया जा सकता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पुर्व) : यह संभव नहीं प्रतीत होता कि इस सत्र में इस वक्तव्य पर चर्चा करने का समय मिले किन्तु ऐसी दशा में क्या एक दो बातों का स्पष्टीकरण किया जा सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एकाएक कोई बात नहीं कहना चाहता। माननीय सदस्यों को अवसर मिल सकता है और यदि कोई अवसर न मिले तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते है। मैं उन प्रश्नों की ग्राह्यता पर विचार कर प्रधान मंत्री को सूचना दूंगा। यदि उनमें ऐसी कोई विशिष्ट बातें हो जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो वे भी उस पर बाद में विचार कर सकते हैं।

अब कार्य सूची का अगला विषय लिया जायगा। पंडित पंत।

नागा पहाड़ियों की स्थिति

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : सभा को याद होगा कि २० मई, १९५६ को प्रधान मंत्री ने नागा पर्वत को स्थिति पर एक वक्तव्य दिया था। तब से, मैंने स्वयम् आसाम राज्य का दौरा किया है तथा वहां आसाम के राज्यपाल, मुख्य मंत्री, सेना अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों से चर्चा की है।

---

†मूल अंग्रेजी में।